भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2658

सोमवार, 09 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

बाल श्रम कानून के प्रवर्तन में कमियां, रियायतें और प्रवासियों के खतरे

†2658.श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि अपंजीकृत और आवास-स्थलों से संचालित अनौपचारिक उद्यमों में बाल श्रम का बढ़ता प्रघटन इसे नियमित श्रम निरीक्षण के दायरे से बाहर रखता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बाल श्रम (प्रतिषेध एवं संशोधन) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत "पारिवारिक उद्यम" को दी गई 50 छूट की समीक्षा करने का विचार है, क्योंकि इसका दुरुपयोग खतरनाक गतिविधियों में बच्चों से श्रम कराने के प्रघटन को छिपाने के लिए किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बाल श्रम के मामलों में दोषसिद्धि की बहुत कम दर, निरीक्षकों की कमी तथा अंतर-एजेंसी समन्वय की कमी सहित अन्य कारणों की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विभिन्न कानूनों में 'बालक' शब्द की असंगत परिभाषाओं और कमजोर अंतर-राज्यीय ट्रैकिंग तंत्र के कारण खतरनाक कार्यों से जुड़े प्रवासी बच्चों के समक्ष उत्पन्न खतरों को दूर करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सरकार ने बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 लागू किया है, जो 14 वर्ष से कम आयु के प्रवासी बच्चों सहित सभी बच्चों के किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में काम करने या नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है। यह अधिनियम, 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने से भी रोकता है। हालांकि, बच्चों को केवल स्कूल के समय के बाद या छुट्टियों के दौरान ही जोखिमरहित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में अपने परिवारों या पारिवारिक उद्यमों की सहायता करने की अनुमति है।

जारी/2---

इस अधिनियम में, वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था और "बच्चे" की परिभाषा को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा की उम्र से जोड़ा गया था।

सरकार ने बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1988 भी तैयार किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ, जिला-स्तर पर जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) और टास्क फोर्स का उपबंध करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के उपबंधों का उचित रूप से प्रवर्तन किया जाए। इसके अलावा, शिकायतों की निगरानी करने और ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल- **'पेंसिल'** (प्लेटफॉर्म, फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) विकसित किया गया था।
